जनपद-संतकबीरनगर **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनांक 11.05.2019**

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री आकाश तोमर के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक श्री असित श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण मे जनपद संतकबीरनगर मे दिनॉक 11.05.2019 को कानून व्यवस्था, अपराध एवं अपराधियो पर नियन्त्रण हेतु चलाये गये चेकिंग अभियान मे निम्नलिखित कार्यवाहिया की गयी ।

चोरी की मोबाइलो के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा चोरी की 05 मोबाइल के साथ एक अभियुक्त नाम पता मोनू पुत्र महेश निवासी बाहिलपार थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 311 / 19 धारा 41 / 411 भादवि पंजीकृत किया गया ।
गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण – उ0नि0 गयासुद्दीन खॉ, मुख्य आरक्षी सुमेर प्रसाद ।

वारण्टी

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 01 वारण्टी नाम पता लल्लू पुत्र प्रकाश निवासी दुभरा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1488 ने दुर्घटना मे घायल व्यक्ति को पहुचाया अस्पताल – पीआरवी 1488 को थाना महुली क्षेत्र के अन्तर्गत इवेन्ट संख्या 3155 से कालर ने मार्ग दुर्घटना मे एक व्यक्ति के घायल होने के सम्बन्ध मे सूचना दी । इस सूचना पर पीआरवी कर्मियों द्वारा तत्काल 05 मिनट मे घटनास्थल पर पहुचकर घायल व्यक्ति को पीआरवी से इलाज हेतु अस्पताल मे पहुचाया गया तथा दुर्घटना के संबंध मे थाना महुली को सूचित किया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुचकर दुर्घटना मे घायल व्यक्ति की जान की जान बचायी गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ – मुख्य आरक्षी विनोद कुमार ओझा, आरक्षी शिवानन्द यादव, हो0चा0 सोमनाथ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 35 वाहनो से 6700 रु0 सम्मन शुल्क वसूल

आज दिनांक 11-05-2019 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 35 वाहनो से 6700 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।